अल्पकालीन निविदा सूचना

टेण्डर मांगे जाने की सूचना का प्रपत्र M.F.69/70

जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद (न्याय निभाग), टेण्डर मांगे जाने की सूचना

1. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से नीचे लिखे कार्यों के लिए एतद् द्वारा अल्पकालीन निविदायें (टेण्डर) आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का नाम :–

संलग्न सूची के अनुसार

2. मुहरबन्द टेण्डर प्रभारी अधिकारी, नज़ारत कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रूखाबाद द्वारा दिनांक 16 माह 03 सन 2010 को 03:00 बजे तक लिये जायेंगे और उनके या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 16 माह 03 सन 2010 को 03:30 बजे में स्थित उनके कार्यालय में खोले जायेंगे।

3. टेण्डर देने वाले व्यक्तियों को, जो टेण्डर खोले जाने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, उपस्थित रहने की अनुमति दे दी जायेगी।

4. कार्य के प्रारम्भ करने के आदेश की प्राप्ति की दिनांक से संलग्न सूची के भीतर संविदा, लेख्यों के अनुसार पूरी तौर से समाप्त हो जाना चाहिये।

5. कार्य से सम्बन्धित रेखा चित्रों और अन्य लेखों की प्रतियों (जिन पर पहचान के प्रयोजन के लिए मन्जूरी देने वाले अधिकारी या उसके प्रत्याधिक (एक्रडिट) प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। टेण्डर देने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिये दिनांक 10.03.2010 के बाद जनपद न्यायालय के कार्यालय में सामान्य कार्यों के घण्टों में रखी जायेगी। अन्य लेखों सहित सादे टेण्डरों के प्रपत्रों के दो पूरे सैट पूर्वोक्त कार्यालय से प्रतिदिन (रविवार को छोड़ कर) प्रातः 12 बजे से 5 बजे अपरान्ह तक संलग्न सूची रु0 प्रति सैट मूल्य देकर दिनांक 15.03.2010 के 12 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।

6. प्रत्येक टेण्डर के साथ ब्याने के रूप में रुपये संलग्न सूची के अनुसार जमा किये जाने चाहियें, यह बयाना निम्नलिखित में से किसी एक रूप में दिया जा सकता है :–

(क) नकदी के रूप में ऐसी दशा में टेण्डर देने वाले स्वयं उस कोषागार में या उपकोषागार में, जो उनके लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो, धन जमा करेंगे और बयाना जमा करने की पुष्टि में अपने टेण्डर के साथ ट्रेजरी चालान संलग्न करेंगे।

(ख) सरकारी प्रतिभूतियां, नगरपालिका के ऋण पत्र या सरकार के स्वामित्व में या उनके द्वारा नियन्त्रित किसी अन्य सार्वजनिक निगम के बन्ध पत्र/प्रतन के प्रबन्ध समिति (पोर्ट ट्रस्ट) बन्ध पत्र या भारत में किसी अनुसूचित बैंक के जमा रसीदें।

(ग) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय आयोजना प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय रक्षा बन्ध पत्र/राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र।

(घ) भारत के किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।

(ड़) डाकघर बचत बैंक पास बुक/सभी दशाओं में प्रतिभूति टेण्डर मांगने वाले अधिकारी के निर्देशानुसार इस रीति से बन्धक रखी जानी चाहिये कि जनपद न्यायधीश टेण्डर देने वाले व्यक्ति को निर्देश के बिना ही उसे वसूल कर सकें। टेण्डर देने वाला अर्जित ब्याज का अधिकारी (हकदार) होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि टेण्डर देने वाला एक सूचीबद्ध ठेकेदार हो तो वह उसी वर्ग का टेण्डर देने का हकदार होगा जिसके लिए वह सूचीबद्ध हो और ऐसे टेण्डर उसके द्वारा जमा की गई सामान्य प्रतिभूति पर ही दिये जा सकते हैं और टेण्डर पर विचार के समय और बयाने की धनराशि जमा करना आवश्यक न होगा।

7. केवल सभी कैडर वर्ग में सूचीबद्ध ठेकेदारों के टेण्डर पर ही विचार किया जायेगा।

8. इस ठेके के सम्बन्ध में सामग्री पर व्यापार कर, अन्य कर यदि कोई हो तो ठेकेदार द्वारा देय होंगे और सरकार इस सम्बन्ध में किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेगी।

9. (अ) किसी भी टेण्डर देने वाले को कार्य के लिये टेण्डर देने की अनुमति नहीं दी जायेगी जहाँ उसका कोई निकट सम्बन्धी न्याय विभाग की सेवा में नियुक्त हो।

(ब) टेण्डर देने वाले अपने टेण्डरों में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करेंगें कि उनके निकट सम्बन्धी न्याय विभाग की सेवा में हैं या नही। यदि है तो उनके नाम, पदनाम तथा नियुक्ति के स्थानों को दिया जाना चाहिये।

(स) यदि टेण्डर देने वाले/वाला उपयुक्त उप खण्ड (ब) क अनुसार नामों, पदनामों और नियुक्ति के स्थानों को सही–सही या पूरी तौर से बतलाने में चूक करे तो टेण्डर देने वाले की बयाने की धनराशि/प्रतिभूति जमा जब्त की जा सकती है और यदि ठेका किया गया तो उसे भी रद्द किया जा सकता है।

स्पष्टीकरणः–

(1) इस खण्ड में प्रयुक्त पत्र निकट सम्बन्धी का तात्पर्य पिता, माता, बहिन, भाई, बहनाई, लड़का, लड़की, सास, ससुर, दामाद और या स्वयं की पत्नी, लड़का, लड़की, पिता, माता, ससुर या सास के चचेरे भाई से है।

(2) इस खण्ड में प्रयुक्त पद टेण्डर देने वाला या स्वयं में यथा स्थिति टेण्डर देने वाला किसी फर्म या कम्पनी के भागीदार या निदेशक सम्मिलित है।

10. टेण्डर देने वाले को यह परामर्श दिया जाता है कि वह निर्माण कार्य के स्थल को देख ले और यह समझ जायेगा कि टेण्डर भेजने से पहले उन्होने अपने को कार्य, क्षेत्र, स्थानीय दशाओं, रेखाचित्रों, विशेष वणों, संविदा की शर्तो आदि से स्वयं को परिचित कर लिया है।

11. टेण्डर खोले जाने की दिनाँक <u>16.03.2010</u> की अवधि तक स्वीकृति के लिये खुले रखे जायेंगे।

12. टेण्डर के सम्बन्ध में पक्ष समर्थन (Canvassing) कराने का कड़ा निषेध है और ऐसे टेण्डर देने वालों के टेण्डर कराने को जो प्रयत्न करेंगे, अस्वीकार किये जा सकते है।

13. विभाग द्वारा सप्लाई किये गये टेण्डर के सादा प्रपत्र पर सभीं दरें उद्धत की जायेंगी। निजी कागज़ों पर उद्धरित दरों वाले टेण्डर अस्वीकृत किये जा सकते है।

14. टेण्डर मांगे जाने की सूचना, टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने पर संविदा बन्ध का एक भाग हो जायेगा।

15. यदि वह व्यक्ति जिसका टेण्डर स्वीकृत किया गया हो संविदा पर हस्ताक्षर न करे और उपर्युक्त पैरा 6 में निर्दिष्ट प्रतिभूति उनके द्वारा जमा किये जाने की उपेक्षा किये जाने पर <u>सात</u> दिन के भीतर जमा न करे तो उसके द्वारा जमा की गई बयाने की धनराशि या सामान्य प्रतिभूति जमा की इतनी ही धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

16. टेण्डर स्वीकार हो जाने पर ठेकेदार के प्रत्याधिक (एक्रिडिट) प्रतिनिधि का नाम, जो प्रभारी अधिकारी से अनुदेश लेने के लिये उत्तरदायी होगा, टेण्डर मांगने वाले अधिकारी को सूचित कर दिया जोयेगा।

17. केवल पंजीकृत ठेकेदारों को निविदा बेची जायेगी।

18. निविदा के साथ 100/– का स्टाम्प पेपर पर 1 रु0 के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर सहित लगाना आवश्यक है।

19. कार्य लोक निर्माण विभाग के अधिकृत अधिकारी की देखरेख में निर्धारित मानक के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।

20. कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही मानक के अनुसार सम्पादित किया जाना माना जायेगा और प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा। कार्य मानक के अनुसार होना प्रमाणित न होने पर जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, किये गये कार्य का संज्ञान नहीं लिया जायेगा और न विभाग ठेकेदार की किसी क्षति के लिये जिम्मेदार होगा।

9.3.10

अनूप कुमार गोयल
सदस्य
अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0–2
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

Vinay Kumar

विनय कुमार
सदस्य
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0–3
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

9/3/10

पंकज गौड़
अध्यक्ष
विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

निविदा की सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये एवं एक–एक प्रति निम्नलिखित स्थानों/कार्यालयों के नोटिस बोर्ड/उपयुक्त स्थानों पर चस्पा की जाये।

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रूखाबाद।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय ज़िला अधिकारी, फर्रूखाबाद।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय प्रन्तीय खण्ड लाक निर्माण विभाग, फर्रूखाबाद।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय ज़िला पंचायत, फर्रूखाबाद।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर पालिका परिषद, फर्रूखाबाद।

Approved
9/3/10

9.3.10

अनूप कुमार गोयल
सदस्य
अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0–2
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

विनय कुमार
सदस्य
अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं0–3
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

9/3/10

पंकज गौड़
अध्यक्ष
विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

कार्यालय केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।

जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनॉक 16.03.2010 को दिन के 03.00 बजे तक निम्नलिखित कार्यो हेतु पंजिकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैः–

कार्यो की सूची

क्रम सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने का समय
1	2	3	4	5	6
1	इम्प्रोवाइज़्ड न्यायालय भवन की मरम्मत, रंगाई–पुताई आदि।	रू0 94100.00	रू0 9410.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
2	इम्प्रोवाइज़्ड न्यायालय भवन की मरम्मत, कलर, वाशिंग आदि।	रू0 99500.00	रू0 9950.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
3	इम्प्रोवाइज़्ड न्यायालय भवन के दरवाज़े, खिड़कियों आदि पेन्ट का कार्य।	रू0 78000.00	रू0 7800.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
4	ज़िला न्यायालय भवन एवं उससे सम्बद्ध न्यायालय भवन एवं कार्यालय भवनो की मरम्मत रंगाई–पुताई (बाह्य भाग) आदि।	रू0 99500.00	रू0 9950.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
5	ज़िला न्यायालय भवन एवं उससे सम्बद्ध न्यायालय भवन एवं कार्यालय भवनो की मरम्मत रंगाई–पुताई (आन्तरिक भाग) आदि।	रू0 98500.00	रू0 9850.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
6	ज़िला न्यायालय भवन एवं उससे सम्बद्ध न्यायालय भवन एवं कार्यालय भवनो के शीशे बदलने व दरवाजो व खिडकिंयों पर पेन्ट आदि कार्य।	रू0 88286.00	रू0 8820.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
7	बहुखण्डीय न्यायालय भवन की मरम्मत रंगाई–पुताई आदि कार्य।	रू0 99800.00	रू0 9980.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
8	बहुखण्डीय न्यायालय भवन की मरम्मत, वाटर प्रूफ सीमेन्ट पेन्ट आदि कार्य।	रू0 86500.00	रू0 8650.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
9	बहुखण्डीय न्यायालय भवन के दरवाज़े, खिड़कियों आदि पेन्ट का कार्य आदि।	रू0 90334.00	रू0 9030.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
10	टाइप–II. ए–1 से ए–11 बरगदिया घाट की रंगाई–पुताई, मरम्मत आदि।	रू0 99350.00	रू0 9940.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
11	टाइप–II. बी–1 से बी–11 बरगदिया घाट की रंगाई–पुताई, मरम्मत आदि।	रू0 95454.00	रू0 9550.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
12	टाइप–I. डी–1 से डी–7 व ई–1, ई–2 बरगदिया घाट की रंगाई–पुताई, मरम्मत आदि।	रू0 97788.00	रू0 9780.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
13	टाइप–II. ए–1 से ए–7 (ब्लाक–ए) व बी–1, बी–7 (ब्लाक–बी) बरगदिया घाट की रंगाई–पुताई, मरम्मत आदि।	रू0 94865.00	रू0 9500.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
14	टाइप–I. सी–1 से सी–7 (ब्लाक–सी) बरगदिया घाट की रंगाई–पुताई, मरम्मत आदि।	रू0 84834.00	रू0 8500.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह
15	टाइप–II. सी–1 से सी–8 (ब्लाक–सी) बरगदिया घाट की रंगाई–पुताई, मरम्मत आदि।	रू0 99114.00	रू0 9920.00	एक सप्ताह	एक सप्ताह

कुल कार्य– 15

निविदा दिनॉक 16.03.2010 को समय 03.30 बजे दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनॉक 10.03.2010 से 15.03.2010 तक 12.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में केन्दीय नज़ारत, कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रूखाबाद से प्राप्त की जा सकती है। कार्य की विस्त्त जानकारी केन्दीय नज़ारत, कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फर्रूखाबाद से प्राप्त की जा सकती है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को सुरक्षित है।

9.3.10

प्रभारी अधिकारी, नज़ारत
जनपद न्यायालय, फर्रूखाबाद।